(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

गोकुल धाम बिल्डहोम प्रा०लि० बनाम गोपाल माली

किस्म मुकदमा 111, 128 L R Act नं. 38 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/1/21	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 9/2/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9/2/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं/अतः अवकाश पत्रावली साविक आदेश दिनांक 4/3/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	विपक्षी नं. 3 के खिलाफ कार्यवाही ... (हस्ताक्षर) 9/2/21
4/3/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं/अतः अवकाश पत्रावली साविक आदेश दिनांक 18/3/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
18/3/21	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी ... [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested

कर रखा है। शेष विपक्षी 1, 2 का वजूद
रहना के अनुपालित जिनके विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जावे
के एकपक्षीय बहस सुनी गई। अत: प्रार्थना
पत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर आज्ञा किया गया है
पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से
कम हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय लेण्ड रेकार्ड (उपखण्ड अधिकारी) बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री महीपाल सिंह (आर ए एस)

प्रकरण संख्या 38/2021 प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक 28/01/2021
निर्णय दिनांक 18/03/2021

अनवान

गोकुल धाम बिल्डहॉम प्रा0लि0 शाखा कार्यालय बी 122 जीण माता मन्दिर के पास, सुभाषनगर, भीलवाडा पंजीकृत कार्यालय जनकपुरी बेडवास ट्रान्सपोर्ट नगर के पास एयरपोर्ट रोड, उदयपुर जरिये डायरेक्टर त्रिलोकचन्द सेन पिता रामस्वरूप सेन निवासी मालपुरिया नांगल बेरसी जिला दोसा राज0

.......प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पिता उगमा माली निवासी कमालपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. भैरू पिता माना गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. पुष्पा पत्नि राजसिंह राणावत निवासी कमालपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कमालपुरा पटवार मण्डल चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खतौनी संख्या 29 स्थित आराजी नम्बर 632/104, 711/104 कुल किता 02 रकबा 0.7715 हैक्टेयर मे से 02–18 बीघा प्रार्थी द्वारा गंगाराम पिता भज्जा भील निवासी राणावतो का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा से दिनांक 27.12.2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की है। प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी व रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रति संलग्न है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबधि विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसे प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये विपक्षी गण जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षी गण नियत दिनांक पर वास्ते अपना पक्ष रखने हाजिर नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है । व विपक्षी संख्या 03 की और से अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने का आर्डरसीट पर अंकन किया है ।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई । प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृर्षि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृर्षि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कमालपुरा पटवार मण्डल चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खतौनी संख्या 29 स्थित आराजी नम्बर 632/104 , 711/104 कुल किता 02 रकबा 0.7715 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतू तहसीलदार बनेडा को आदेश पारित किया जाता है । कमिश्नर फीस भु–अभलेख निरीक्षक महुआखुर्द को 400/– रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी । पक्षकारान की उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18–03–2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)
सेटलमेन्ट रेकार्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested